

M87P/Dy. No - 301

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
(Central Board of Direct Taxes)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16<sup>th</sup> March, 2016

S.O.....(E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board a Board constituted under the Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board Act, 1973 (Karnataka Act No. 25 of 1974), in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-


- (a) Establishment, administrative and supervision charges collected as a percentage of project cost prescribed by the Karnataka Public Works Department Accounts Code of Government of Karnataka;
- (b) Water charges collection for supply of water to local bodies and directly to consumers;
- (c) Interest on investments and fixed deposit in banks;
- (d) Rent collected for letting out head office building 'JAL BHAWAN';
- (e) Forfeiture of earnest money deposit.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been apply for the financial year 2014-2015 and shall apply with respect to the financial years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019.

[Notification No. 15/2016 F.No.196/6/2015-ITA-I]



(DEEPSHIKHA SHARMA)

Director to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri Press,  
New Delhi.

17/3/16

Rekhe

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना


नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 2016

का.आ. (अ), - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-वाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड को कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड अधिनियम, 1973 (1974 का कर्नाटक अधिनियम सं. 25), के अंतर्गत गठित एक बोर्ड घोषित करती है, यथा :-

- (क) कर्नाटक सरकार की कर्नाटक सार्वजनिक निर्माण विभाग लेखा संहिता के द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में संकलित स्थापना, प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभार;
- (ख) स्थानीय निकायों को तथा सीधे उपभोक्ताओं को जल की आपूर्ति के लिए जल लागत प्रभार;
- (ग) बैंकों में निवेश और सावधि जमा पर ब्याज;
- (घ) 'जल भवन' के मुख्य कार्यालय भवन को किराए पर देने से अर्जित किराया;
- (ङ) जमा धरोहर राशि की जब्ती।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड;
  - (क) किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;
  - (ख) इसके क्रियाकलाप इसको होने वाली विशेष आय के स्रोत में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा
  - (ग) उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरा करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 पर लागू हो गई है और वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 पर लागू होगी।

[अधिसूचना सं. -----/2016, फा.सं. 196/6/2015 आईटीए-1]

  
(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, प्रेस

नई दिल्ली।